''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 310] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 22, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग

(वाणिज्यिक कर विभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/40/2005/वाक./पांच (51).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, छत्तीसगढ़ वृत्तिकर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक ए-3-44-95-विक-पांच (79) दिनांक 11-10-2005 में शब्द एवं अंक ''31 मार्च, 2005'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''31 मार्च, 2009'' प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2005

क्रमांक एफ-10/40/2005/वाक/पांच (51).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/40/2005/वाक/पांच (51), दिनांक 13-12-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th December 2005

NOTIFICATION

No. F-10/40/2005/CT/V (51).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Chhattisgarh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment :—

AMENDMENT

In the notification number A-3-44-95-ST-V (79) dated 11-10-2000, for the word and figure "31st March, 2005", the word and figure "31st March, 2009" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.